

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की सातवीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 30 अगस्त 2022 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम नंबर-8 अलवर (राज.) पर दोपहर 01:15 बजे निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए दी जाती है:

1. 31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2022 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों का एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, हो और एतद्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना: -

संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से 8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 6,69,005 इक्विटी शेयरों पर लाभांश पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 5352040 राशि इसके द्वारा अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है तथा इस राशि का भुगतान उन सदस्याओं को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्याओं के रजिस्टर में उल्लिखित हैं।

"3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना

"संकल्प किया कि श्रीमती मनजीत कौर, (डीआईएन 07674902), निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और जो अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए खुद को पेश नहीं करती हैं, उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना |

"संकल्प किया कि श्रीमती गीता देवी (डीआईएन 08565123), निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और जो अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए खुद को पेश नहीं करती है, उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

5. श्रीमती बबीता (डीआईएन 09678588) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना ।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया कि श्रीमती बबीता (डीआईएन 09678588) जिन्हें 19.07.2022 से कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्हें इस वार्षिक आम बैठक की तारीख को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

6. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

"संकल्प किया गया कि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

7. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमों एवं बहिर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10,00,00,000/- (केवल दस करोड़ रुपये) 10,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक से 13,00,00,000/- (तेरह करोड़ रुपये) 13,00,000 (तेरह लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 3,00,000 (तीन लाख) रु.100/- (रुपये एक सौ) प्रत्येक के इक्विटी शेयरों के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है ।

"आगे यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इसके मौजूदा क्लॉज VI को निम्नलिखित नए क्लॉज VI से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"छठी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 13,00,00,000 रुपये है। (तेरह करोड़ रुपये) जो कि 100/- रुपये के (एक सौ रुपये) प्रत्येक के इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

आगे संकल्प किया गया है कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के सभी कार्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं,

8. कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेखों में परिवर्तन पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए इस संबंध में विशेष प्रस्ताव पारित किया जा सकता है:

"संकल्प किया गया कि अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR, धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान, इसके तहत बनाए गए नियमों सहित, और कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधान और एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के मौजूदा अंतर्नियमों को निम्नलिखित तरीके से और हद तक बदला जा सकता है:

(1) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 को संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.13 i. बोर्ड की बैठक के लिए कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी, जो कम से कम एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित न्यूनतम तीन होगी। उपरोक्त के बावजूद, निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी यदि कंपनी के बोर्ड में कोई विशेषज्ञ निदेशक नहीं है।

ii. यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई दिनांक, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तथापि, स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

(2) मौजूदा अनुच्छेद 4.3. iii. को संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

कोई भी सदस्य जो सदस्यता के लिए पात्र नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्यता से हटाने के लिए एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्या को नोटिस में

निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद बोर्ड इस मामले में फैसला लेगा।

हालांकि, सदस्याओं को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्याओं के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों में छूट दे सकता है।

आगे संकल्प किया गया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।

यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

9. संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंडों पर विचार और अनुमोदन करना।

"संकल्प किया गया है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार और दिनांक 14 जून, 2016 को कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प संख्या 08/1st AGM/14.06.2016/2016-17 के स्थान पर, व्यापार में सदस्याओं की भागीदारी (यानी संरक्षण) के आधार पर सदस्याओं को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड नीचे दिए गए हैं:

क्रम स.	मानदंड	श्रेणी - A	श्रेणी - B	श्रेणी - C
1	एक वर्ष में कंपनी को आपूर्ति किए गए दूध के दिनों की संख्या	>=330 दिन	>=270 दिन	>=200 दिन
2	कंपनी को आपूर्ति की जाने वाली वार्षिक दूध की मात्रा (लीटर में)	>=10000	>=4000	>=500
3	एक वित्तीय वर्ष के दौरान लीन महीनों (अर्थात् अप्रैल से जुलाई) के दौरान आपूर्ति की गई दूध की मात्रा की तुलना में फ्लश महीनों (अर्थात् नवंबर से फरवरी) के दौरान आपूर्ति की गई दूध की मात्रा;	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं
4	सब्सक्राइब किए गए शेयरों की न्यूनतम संख्या (योगदान की गई शेयर पूंजी की राशि)	100 शेयर (रु . 10000/-)	40 शेयर (रु . 4000/-)	5 शेयर (रु .500/-)

* टिप्पणी -

क) वास्तविक शेयर अंशदान या आपूर्ति की गई वास्तविक दूध की मात्रा, जो भी कम हो, को वर्ग के वर्गीकरण पर पहुंचने के उद्देश्य से माना जाएगा।

बी) संरक्षण की गणना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

i. सदस्य जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भर्ती हुए हैं और अभी तक अपनी सदस्यता के 365 दिन पूरे नहीं किए हैं, लेकिन वर्ग ए, वर्ग बी या वर्ग सी के लिए न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी की सदस्यता ली है, तो उस वर्ग से संबंधित माना जाएगा।

ii. कोई भी सदस्या जो वर्ग ए या वर्ग बी के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करेगा, वह उपयुक्त निम्न वर्ग में जा सकता है जिसके लिए सदस्या मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, वे उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।

iii. जो सदस्या कम से कम 'वर्ग सी' बनाए रखने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 4.3 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, अगर बोर्ड उन्हें अपनी सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्याओं को बिना किसी वर्ग के सदस्या माना जाएगा।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

धर्मेन्द्र कुमार

दिनांक: 19.07.2022

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

टिप्पणियाँ

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्या एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्या के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्या को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
2. सदस्याओं/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।
3. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (10.00 बजे से 17.00 बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में सदस्याओं द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति एजीएम में लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम के स्थान पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
5. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्या से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।
6. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपने सदस्या कोड का उल्लेख करें।
7. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
8. एजीएम स्थल पर हथियार, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।
9. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे क्विड- 19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभा में उपस्थित हों।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

आइटम संख्या 3,4,5

नाम	व्यवसाय	शैक्षणिक योग्यता
श्रीमती रेखा कुमारी	पशुपालन और डेयरी	स्नातक
श्रीमती ललिता	पशुपालन और डेयरी	स्नातक
श्रीमती बबिता	पशुपालन और डेयरी	स्नातक

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

धर्मेन्द्र कुमार

दिनांक: 19.07.2022

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 5

श्रीमती बबीता को 19 जुलाई, 2022 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेखों के साथ पढ़े गए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उपरोक्त निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद धारण करते हैं।

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में श्रीमती बबीता की नियुक्ति निदेशक के रूप में वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्याओं द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 5 की सिफारिश करती है।

श्रीमती गीता देवी, स्वयं को छोड़कर कोई भी निदेशक / कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प में किसी भी तरह से संबंधित या रुचि नहीं रखती हैं। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

कंपनी की वर्तमान अधिकृत पूंजी रु.10,00,000,000/- (दस करोड़ रुपये) है, और इसकी जारी, सदस्यता और चुकता शेयर पूंजी रु. 6.7 करोड़/- (छः करोड़ सत्तर लाख रुपये मात्र) है। अपने व्यापार के सामान्य कार्यक्रम में अपने विकास और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को अपनी चुकता शेयर पूंजी को 13 करोड़/- (तेरह करोड़ रुपये) तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 13 करोड़ (तेरह करोड़ रुपये) करने का प्रस्ताव है। और उस प्रयोजन के लिए, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज को भी उपयुक्त रूप से बदलने की आवश्यकता होगी। जैसा कि साथ में नोटिस के मद संख्या 7 में संकल्प में निर्धारित किया गया है।

लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि संकल्प के निकाय में बताया गया है, कंपनी को अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में बदलाव के लिए सदस्याओं की मंजूरी लेने की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 7 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते हैं या संबंधित नहीं हैं।

मद संख्या 8

कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में समय-समय पर लागू और संशोधित कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप आर्टिकल्स के प्रावधानों को समझने और प्रशासित करने में बेहतर स्पष्टता लाने के लिए कुछ बदलावों की आवश्यकता है, ताकि कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता को समाप्त किया जा सके। और कंपनी के व्यवसाय संचालन और प्रबंधन में लचीलापन और आसानी हो सके |

निदेशक मंडल ने 19.07.2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378I के अनुसार अपेक्षित बहुमत के साथ कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लेखों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लेखों में संशोधन के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसलिए, विशेष संकल्प में प्रस्तावित परिवर्तनों को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लेखों के कुछ मौजूदा प्रावधानों के संशोधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाता है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते हैं या संबंधित नहीं हैं।